1344
20-9-16
A3/डी-2

21/9/16

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित
संख्या /XVIV–नवसृजित/2016–32(01)/2013
देहरादून : दिनांक : 13 सितम्बर, 2016

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड राज्य में शिक्षकों के स्थानान्तरण उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण तथा पदस्थापना नियमावली, 2013 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत किए जाते हैं।

चूँकि वर्ष 2016–17 को शून्य सत्र रखा गया था तथा स्थानान्तरण किए जाने के संबंध में निर्णय काफी देरी से हुआ, अतः समय सारणी बनाकर स्थानान्तरण किए जाने से पूरा शैक्षिक सत्र प्रभावित होगा, इसे ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि इस शैक्षिक सत्र में केवल निम्नवत् स्थानान्तरण किए जायें :–

1. स्थानान्तरण केवल अनुरोध के आधार पर रिक्त स्थानों पर अथवा परस्पर सहमति से किए जायें। सभी स्थानान्तरणों में नियमावली में प्रतिपादित सिद्धांतों का ध्यान रखा जाएगा।
2. प्रथम वरीयता में ऐसे शिक्षक, जिनके बच्चे मानसिक रूप से विक्षिप्त/ विकलांग/गम्भीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण उनके इलाज व शिक्षा से संबंधित विशेष आवश्यकताएं हों, का स्थानान्तरण किया जाय।
3. तत्पश्चात ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा गंम्भीर बीमारी से पीड़ित हैं के स्थानान्तरण किए जायं।
4. तत्पश्चात् ऐसे शिक्षक जो विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधुर की श्रेणी में आते हैं, के स्थानान्तरण किये जायं। परित्यक्ता केवल उसे ही माना जायेगा जिसके संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा इस आशय का आदेश निर्गत किया गया हो। गम्भीर बीमारी एवं विकलांगता के अन्तर्गत उक्त नियमावली के नियम 22 में परिभाषित गंम्भीर बीमारी एवं विकलांगता को सम्मिलित किया जयेगा।
5. तत्पश्चात् पति–पत्नी की श्रेणी के अन्तर्गत स्थानान्तरण रिक्त पदों की सीमा तक स्थानान्तरण किए जाएंगे।
6. तत्पश्चात् जिन शिक्षकों द्वारा दुर्गम क्षेत्रों से सुगम क्षेत्रों को स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है, उनके स्थानान्तरण वरिष्ठता, उपलब्ध रिक्तियां एवं उनके सेवा गुणांकों के आधार पर किए जायेंगे।
7. उपरोक्त श्रेणियों में ऐसे शिक्षक, जिनके द्वारा अपने सेवा संवर्ग से स्थानान्तरण/अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण हेतु विहित अर्हता पूर्ण कर ली है, के स्थानान्तरण भी प्रतिपादित सिद्वांतों में अधीन किए जायेंगे।

13/9/2016

(डॉ. रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

21.9.16

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित
संख्या– / XXIV–नवसृजित / 16–32(01) / 2013
देहरादून: दिनांक: 21 अक्टूबर, 2016

1625
25-10-16

कार्यालय ज्ञाप

शैक्षणिक सत्र 2016–17 में स्थानान्तरण किए जाने हेतु निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–प्रा0शि0 / दो (02) / 17 / 15122 / 2016–17 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–773 / XXIV–नवसृजित / 16–32(01) / 2013 दिनांक 19 सितम्बर, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न बिन्दु को भी सम्मिलित किया जाता है :–

1. राजकीय शिक्षक की स्वयं की बीमारी / विकलांगता से ग्रसित होने के कारण उनके इलाज की विशेष आवश्यकताएं हों, का स्थानान्तरण किया जाय। किन्तु उक्त नियमावली के नियम–22 में परिभाषित ऐसी गंभीर बीमारी जिसके लिए अवकाश पर जाना ही एकमात्र विकल्प हो, उपरोक्त अपवाद में सम्मिलित नहीं होगी।
2. कार्यालय ज्ञाप संख्या–773 / XXIV–नवसृजित / 16–32(01) / 2013 दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–827 / XXIV–नवसृजित / 16–32(01) / 2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा / अकादमिक शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव